



**01/04/2024**

**MANDI MITRA SALAHKAR  
BLOCK PROJECT MANAGER  
CLUSTER PROGRAM OFFICER  
DISTRICT PROJECT MANAGER**

**WORK SCHEDULE,  
RESPONSIBILITY & SALARY  
PAYOUT BENEFIT**

सभी पदों में कार्यरत व्यक्ति के दैनिक कार्य विवरण उनकी  
जवाबदेही और सभी के मंडी मित्र के साथ काम करने पर मानदेय के  
साथ अन्य प्रकार के लाभ वितरण का संपूर्ण विवरण पुस्तिका

विस्तारित जानकारी के लिए कम्पनी के कंपनी के वेबसाइट

<https://mandimitra.com/> पर जा कर अध्ययन कर ले

या कम्पनी के हेल्पलाइन नो पर संपर्क करे

7901659997, 9430138062, 9430138063, 9430138064



## MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited

Reg. Office :- Road No-01s ,Van Vrindavan Colony, Chirondi, Morabadi, Ranchi, Jharkhand, 834006

Website- <https://mandimitra.com/> , e-mail- mandimitraa@gmail.com, Helpline- 7901659997, 9431038062

Under Registered - Government Of India Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises

Government of India Ministry Of Corporate Affairs under the Company act 2013 (18 of 2013 )

CIN NO- U01111JH2024PTC021920 MSME- UDYAM-JH-20-0003250 GSTIN-20AARCM7209D1ZO

LETTER NO - 05 / MM/ 2024-2025

DATE- 01/04/2024

### 1. MANDI MITRA KRISHI SALAHKAR( GARM PANCHAYAT)

### WORK SCHEDULE, RESPONSIBILITY & SALARY PAYOUT BENEFIT

#### इंटरशिप कार्य अवधि

#### स्टेप 1- कृषि संबंधी दुकान का सूची को तैयार करना।

पहला और दूसरा दिन में अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत जो भी कृषि संबंधी दुकान है उसकी सूची को तैयार करना।

सूची में, दुकान का नाम, दुकानदार का नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला का विवरण लेना किस-किस पंचायत तक के किसान इनके दुकान से सामान ले जाते हैं। किस-किस चीज का इनके पास लाइसेंस है।

इनके पास खाद बीज दवा इत्यादि का लाइसेंस है

क्र	दुकान का नाम	दुकानदार का नाम	मोबाइल	व्हाट्सएप	गांव, पंचायत	लाइसेंस			किस पंचायत तक के किसान इनके दुकान से सामान ले जाते हैं	क्या मंडी मित्र से जुड़ना चाहते हैं
						खाद	बीज	दवा		

#### स्टेप 2 - सूचीबद्ध दुकान में से एक दुकान का चयन

तीसरा और चौथा दिन में सूचीबद्ध दुकान में से एक दुकान का चयन कर दुकान के साथ एक एग्रीमेंट करना और दुकान के बाहर मंडी मित्र का बोर्ड कहाँ-कहाँ लगेगा उसका नाप लेना। और दुकान का फोटो लेना और वीडियो लेना है अंदर और बाहर दोनों तरफ का।

#### स्टेप 3- कार्यक्षेत्र के गांव में जाकर किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर सूचीबद्ध करना

पांचवें से सातवें दिन अपने कार्यक्षेत्र के गांव में जाकर किसानों से मिलकर किसानों का बैठक करवाना। उनकी समस्याओं को सुनकर सूचीबद्ध करना और किसानों को मंडी मित्र के योजनाओं के बारे में बताना, और उनका क्या मतलब है इसको भी सूचीबद्ध करना। कम से कम प्रतिदिन 30 किसान से मिलकर उनके सूची को तैयार करना है। उनके जो भी विचार हो उनको सूचीबद्ध करना।

क्र	दिनांक	नाम	पिता / पति	गांव	मोबाइल नो	खेती (एकड़)	किसान का समस्या	मंडी मित्र का बारे में विचार	अभिव्यक्ति

#### स्टेप 4- मंडी मित्र किसान क्लब कार्ड बनवाना और उनकी जरूरत को सूचीबद्ध करना

आठवां से दसवां दिन में, पहले जिन किसानों से मिलकर उनको मंडी मित्र की योजनाओं के बारे में बताए थे उनसे दुबारा मिलकर उनका मंडी मित्र किसान क्लब कार्ड बनवाना और उनकी जरूरत को सूचीबद्ध करना और मिट्टी जांच हेतु सैंपल कैसे इकट्ठा किया जाए इस संबंध में प्रशिक्षण देना है।

## DAILY WORK SCHEDULE

### कार्य अवधि - प्रतिदिन 8 से 9 घंटा

1. प्रतिदिन सुबह 8 से 12:00 बजे दोपहर तक नए किसानों से मिलकर मंडी मित्र के लाभकारी योजनाओं के बारे में किसानों को बताना है और मंडी मित्र के बारे में जो भी उनके विचार हो उनको सूचीबद्ध करके किसानों का सूची तैयार करना है।
2. दोपहर 2:00 बजे से लेकर शाम को 6:00 बजे तक पुराने जिन किसानों से मिलकर उनको मंडी मित्र के योजनाओं के बारे में बताया गया था उनसे मिलना है और उनका किसान ग्रुप तैयार कर उनका किसान क्लब कार्ड बनाना है उनके उपयोग के जरूरी कृषि प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी देना है उन प्रोडक्टों की ऑर्डर लेना है।
3. अपने कार्य अवधि में प्रतिदिन किसान समूह की बैठक कर उनके समस्याओं को सूचीबद्ध करना और उनका जो भी समस्या हो उसको किसान सहायता केंद्र, बीपीएम या कंपनी स्तर पर समस्या को दूर करना है
4. उनके फसल का निरीक्षण करना है ,और फसल में जो भी रोग लगा हो, मोबाइल एप और वेबसाइट में देखकर उनको क्या दवा लगेगी इस बारे में बताना
5. किसान के उपज का क्वालिटी चेक कर उनके फसल के सही कीमत लगाना है और तोल करा कर गोदाम में भिजवाना है।
6. किसानों द्वारा दिए गए अपने जरूरत के समान का आर्डर को कंपनी और अपने बीपीएम को बताना है और उनके ऑर्डर को किसानों को पहुंचवाना है।
7. किसानों को मौसम की जानकारी देना है, उनकी मिट्टी की जांच करना है, उनकी मिट्टी के जांच लिए नमूना कैसे इकट्ठा किया जाए इसका प्रशिक्षण देना है, किसानों की मिट्टी की जांच हेतु नमूना का संग्रह करना है।
8. किसानों का जहां भी बैठक कर रहे हैं वहां का फोटो और वीडियो बनाना है और जब किसानों से उनकी समस्याओं को सुन रहे हो तो उनका भी वीडियो बनाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन डालना है।
9. किसान सहायता केंद्र पर निगरानी रखना है। और प्रतिदिन किसान सहायता केंद्र पर भी अपना समय देना है और किसान सहायता केंद्र पर जो भी किसान आ रहे हो उनको मंडी मित्र की योजनाओं के बारे में बता कर मंडी मित्र से उनका किसान क्लब कार्ड बना कर जोड़ना है
10. प्रतिदिन सलाहकार के द्वारा किए गए दैनिक कार्य रिपोर्ट को BPM एवं कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है
11. सलाहकार के द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनियमित किया जा रहा है तो अभिलंब बीपीएम के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको सस्पेंड कर उसके कार्य पर रोक लगाया जाएगा। और संस्थान के द्वारा सभी प्रकार के भुगतान पर रोक लगा दी जाएगी
12. अगर कोई सलाहकार अपना दैनिक कार्य रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं दे रहा है तो सलाहकार के अटेंडेंस को अनुपस्थित कर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा।
13. सलाहकार को संस्थान के सभी आचार संहिता एवं नियमावली को पालन करना होगा अगर सलाहकार के द्वारा आचार संहिता नियमावली का पालन नहीं किया जाएगा तो **BPM**, डीपीएम के माध्यम से सलाहकार के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
14. कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे सभी सरकारी और निजी संस्थान जैसे की कृषि आदान पूर्ति वाले कंपनी, पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट की सुविधा देने वाले संस्थान, गोदाम, कृषि औजार की सुविधा प्रदाता, ट्रैक्टर, ट्रॉसपोर्ट प्रदाता, कृषि हेतु प्रशिक्षण देने वाले संस्थान इत्यादि से संपर्क कर उनसे मंडी मित्र के साथ में मिलकर काम करने हेतु संपर्क कर एमओयू करना।
15. संस्थान के विकास हेतु अपने कार्य क्षेत्र में सभी संवैधानिक और उचित कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है जिससे संस्थान और इससे जुड़े किसानों का लाभ हो सके, और किसानों तक अधिक से अधिक सुविधा पहुंचा कर किसानों के खर्च को कम कर उनकी आय को बढ़ाया जा सके और मंडी मित्र के आय में बढ़ोतरी हो सके।
16. उपरोक्त किसी भी कार्य में सलाहकार को समस्या हो रही हो तो वह अपनी समस्या को अपने बीपीएम, डीपीएम या कंपनी को सूचित कर उस समस्या का समाधान कर ले। और कहीं पर आपको अगर सहयोग की जरूरत हो तो अपने बीपीएम, CPO, डीपीएम या कंपनी से सहयोग लेकर अपने कार्य को सुचारू ढंग से करें अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो आप संस्थान के एचआर हेड से संपर्क कर अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

## **MANDI MITRA KRISHI SALAHKAR SALARY PAYOUT BENEFIT**

- आपका कार्य क्षेत्र - 1 से 2 पंचायत में कार्य करना होगा एवं उसमे आने वाले सभी गांव आपके कार्य क्षेत्र में आएगा
- मासिक वेतन = आपका सीटीसी अनुबंध-1 और अनुबंध-2 के अनुसार होगा।
- प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 8500/- प्रतिमाह ( 500 रुपये प्रतिमाह के यात्रा भत्ता + बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा)
- अतिरिक्त किसान खरीद प्रोत्साहन राशि भुगतान - न्यूनतम 15000 /- से 25000 /- मासिक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलता है।

### **अतिरिक्त सुविधा :-**

- 1 किसान खरीद प्रोत्साहन राशि- 1% से 4 % (संपूर्ण पंचायत में कोई भी किसान सदस्य किसान गोल्ड कार्ड/ किसान प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से किसी भी प्रकार के उत्पाद ( जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, ट्रैक्टर, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र में खरीददारी करता है तो **मंडी मित्र सलाहकार** को किसान के खरीद पर 1% से 4 % प्रोत्साहन राशि मिलता है

### **उदाहरण के लिए**

आपके कार्य क्षेत्र में कुल लगभग 12 से 14 गांव होंगे

\* प्रति पंचायत में किसान संख्या - 432 /-

\* न्यूनतम प्रति पंचायत 36 किसान समूह आपके निगरानी में होगा।

\* कुल किसान आपके निगरानी में होगा 36 किसान ग्रुप \* 12 किसान = 432 किसान।

\*प्रत्येक समूह में किसान की संख्या- 12 से 14

\* अगर प्रत्येक किसान कम से कम 1 एकड़ खेती करता है तो सभी किसानों का खेत मिला कर

कुल 432 किसान \* 1 एकड़ = कुल 432 एकड़ में आपके पंचायत में खेती होती है

सलाना एक किसान धान और गेहू या फिर फल सब्जियां की फसल की खेती के लिए मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र से लगभग 10000 /- की उत्पाद ( जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की खरीददारी करता है तो आपके पंचायत से मंडी मित्र से जुड़े किसानों के द्वारा कुल खरीददारी  $432 * 10000 = 43,20,000$  /- की खरीददारी होती है तो, एक **मंडी मित्र सलाहकार** की किसानों की खरीददारी पर कुल इंसेंटिव =  $43,20,000 * 4 \% = 1,72,800$  /- सलाना

महीने का  $1,72,800 / 12$  माह =  $14,400$ /- प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय होगा।

अगर 1 पंचायत के के किसान सदस्य द्वारा किसान गोल्ड कार्ड / किसान प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से 25 % किसान भी मंडी मित्र सहायता केंद्र से अपना सामान खरीदते है तो फिर भी  $14,400 * 25\% = 3600$  /- प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय मंडी मित्र सलाहकार को होगा।

- 2 प्रीमियम कंपनी उत्पाद बिक्री प्रोत्साहन राशि = 1 % ( रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी, कोई अन्य प्रीमियम कंपनी उत्पाद पर प्रोत्साहन राशि मिलता है )।
- 3 छः माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते में 10% - 20% वृद्धि।
4. वार्षिक मूल वेतन के 30% तक का प्रदर्शन प्रोत्साहन वार्षिक।
5. दुर्घटना बीमा 5 लाख।
6. स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा बीमा कवर।
7. 12 माह के उपरांत BLOCK PROJECT MANAGER लेवल के पोस्ट में प्रमोशन की सुविधा

## सीटीसी अनुबंध-1

POST	BASIC+HRA +BONUS + EPF+ESIC	TA+ FIELD EXP	NET SALARY	OTH PRODUCT & SERVICES SALE INC %	PREMIUM PRODUCT SALE INCENTIVE %	GROUP CREATE INCENTIVE
Mandi Mitra Salahkar	8500	500	9000	4 %	1 %	720 / GROUP

• Tds ,Pt & other applicable taxes as per govt ruls.

## अनुबंध-2

*IMPORTANT NOTICE*	Salary / Payment T & C
<p>*Minimum 36 Gold club Farmer Group / 72 General club Farmer Group Per Panchayat Salahkar (MMS) Work Area.</p> <p>*Per Farmer Group Minimum 12 Farmer</p> <p>*Minimum 1000 Acre Agriculture Land For Cultivation Per Panchayat</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>*2 Gold Club Farmer Group Create And Soil Testing Registration within Internship Selection Duration.</p> <p>*12 General Club Farmer Group Per Month</p> <p>*Collection Centre Complete Setup 45 Days After Selection.</p> <p>*Per Collection Centre Minimum 500 Acre Agriculture Land For Cultivation.</p> <p>*Per Month Minimum 12 Village/ panchayat /block Level Farmer Training And Advisory Program Per (Mms) Work Area.</p> <p>*First Payment Increment After 6 Month 10 %</p> <p>*No Work Chart Complete No Monthly Payment Disbursement.</p> <p>*Monthly Salary Pay After Daily/ weekly /Monthly Work Chart Complete And Submit in office .</p> <p>*Company Any Time Transfer Other District, Block And Panchayat.</p> <p>*5 lakh Accidental Death And Disability insurance</p> <p>*Yearly Annual Performance Bonus 10 % to 30 % extra Pay for Basic Annual Salary .</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>* इंटरनशिप समय में जो कार्य आपको दिया गया है, अगर आप इंटरनशिप समय अवधि में अपने कार्य लच्छ पूरा नहीं कर पाते है, तो आपकी नियुक्ति को स्थाई नहीं की जाएगी, और आपकी नियुक्ति को रद कर के आपके स्थान पर वेटिंग लिस्ट में जिस अभियार्थी को रखा गया है उसकी नियुक्ति किया जायेगा।</p>	<p><b>Salary / Payment T &amp; C</b></p> <p>A. 36 Farmer Group Per Panchayat</p> <p>B. Duration 6 Month</p> <p>C. Minimum- 6 Gold Farmer Group / 12 GCF Group Per Panchayat per month</p> <p><b>Mms Salary Payment Structure</b></p> <p>6 Gold Farmer Group Create - 100 % Payment</p> <p>3 To 4 Gold Farmer Group Create – 50 % Payment</p> <p>2 Gold Farmer Group Create -30 % Payment</p> <p><b>100% Work Complete - 100 % Payment Paid</b></p> <p><b>80%-100% Work Complete–100 % Payment Paid</b></p> <p><b>50% Work Complete -50 % Payment</b></p> <p><b>30% Work Complete – 30 % Payment</b></p> <p>*Note- Below 30% Work Complete No Salary Payment Only Incentive + Ta+ Field Exp pay</p> <p>* No work Report No salary paid</p>

- Note- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited के मानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे।

Authorized Signatory

Nalima Kumari



Hr Manager Mandimitra-Ranchi-Ho

Amit Kumar Singh  
Mandi Mitra Agriculture Digital  
Solution And Trading Private Limited

DATE- 01/04/2024



## MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited

Reg. Office :- Road No-01s ,Van Vrindavan Colony, Chirondi, Morabadi, Ranchi, Jharkhand, 834006

Website- <https://mandimitra.com/> , e-mail- [mandimitraa@gmail.com](mailto:mandimitraa@gmail.com), Helpline- 7901659997, 9431038062

Under Registered - Government Of India Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises

Government of India Ministry Of Corporate Affairs under the Company act 2013 (18 of 2013 )

CIN NO- U01111JH2024PTC021920 MSME- UDYAM-JH-20-0003250 GSTIN-20AARCM7209D1ZO

LETTER NO - 05 / MM/ 2024-2025

DATE- 01/04/2024

### 2. BLOCK PROJECT MANAGER

### WORK SCHEDULE, RESPONSIBILITY & SALARY PAYOUT BENEFIT

कार्य अवधि - प्रतिदिन 8 से 9 घंटा

#### स्टेप 1- कृषि संबंधी दुकान से संपर्क कर सूची तैयार करना

1. पहले और दूसरा दिन में अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत मंडी मित्र कृषि सलाहकार के साथ या अकेले कृषि संबंधी दुकान से संपर्क कर सूची तैयार करना और दुकानदार को मंडी मित्र के योजना और मंडी मित्र से जुड़कर कृषि दुकानदार कैसे अपना व्यवसाय को विकसित कर सकते हैं यह बताना।
2. कृषि दुकानदार को मंडी मित्र से जुड़ने के लिए क्या-क्या कागजात की जरूरत होगी और क्या-क्या प्रक्रिया है यह संपूर्ण जानकारी सभी दुकानदार को देना। जिस जिस दुकान पर बीपीएम /सलाहकार के द्वारा संपर्क किया जा रहा है उस दुकान का फोटो और वीडियो बनाकर ग्रुप में डालना।
3. अपने कार्य क्षेत्र के सभी पंचायत में पंचायत स्तर पर शिक्षित और अनुभवी सलाहकार का चयन करना होगा।

#### स्टेप 2 - दुकान का चयन सलाहकार से विचार विमर्श कर करना

4. तीसरा और चौथा दिन में अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत दुकानों में से वैसे दुकान का चयन सलाहकार से विचार विमर्श कर करना जहां से किसानों को सभी सुविधा और सामान मिल सके और दुकानदार की वित्तीय स्थिति भी सही हो और उन दुकानदार का एग्रीमेंट पेपर का फार्म भरवाना और सभी कागजात को प्राप्त करना है। और दुकानदार के सभी एग्रीमेंट पेपर के फॉर्म और सभी कागजात का पीडीएफ बनाकर कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना होगा।
5. अगर पंचायतवार कृषि दुकान का चयन हो तो यह और भी अच्छा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान को लाभ मिल सके और सलाहकार को भी दुकान पर निगरानी रखने और दुकान पर अपना समय देने में सुविधा होगा।

#### स्टेप 3- सलाहकार के सहयोग से किसानों का बैठक करवाना

6. पांचवें से दसवें दिन तक में कार्यक्षेत्र में कार्यरत सलाहकार के सहयोग से किसानों का बैठक करवाना और उन किसानों को सलाहकार के साथ मिलकर मंडी मित्र के बहुउद्देशीय लाभकारी योजनाओं के बारे में बताना। मंडी मित्र से किसान कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में बताना मंडी मित्र के क्लब कार्ड बनवाने से किसान को क्या फायदा है इसके बारे में बताना।
7. किसानों का क्लब कार्ड बनवाने में सलाहकार को सहयोग करना। सलाहकार के द्वारा किसानों का नियमित बैठक करवाना। प्रतिदिन कम से कम दो सलाहकार के साथ उनके कार्य क्षेत्र में किसानों से मिलकर किसानों की समस्याओं को समझना और उनकी समस्याओं का समाधान करना या संस्थान के मध्यम से करवाना।
8. बीपीएम और उनके कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी सलाहकारों के द्वारा किसानों के बैठक का फोटो लेना / लेवाना होगा और वीडियो बनवाना होगा। किसानों के खेतों पर जाकर उनके फसल का निगरानी करते हुए वीडियो बनवाना होगा और सभी फोटो और वीडियो को ग्रुप में डालवाना होगा और किसानों के साथ किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो उनका एक विस्तृत वीडियो बनवाकर ग्रुप में डालवाना होगा।
9. सभी सलाहकार के द्वारा किसानों की जरूरत की सामग्री के बारे में किसानों को अवगत करवाना और किसानों को जो भी जरूरी सामान चाहिए उसका आर्डर सलाहकार के माध्यम से कंपनी में लगवाना और प्रतिदिन सभी

सलाहकारों के साथ 1 घंटे का ऑनलाइन मीटिंग कर उनके समस्याओं का समाधान करना अपने कार्य क्षेत्र में सलाहकार को सहयोग करते हुए संस्थान के योजनाओं को किसानों तक पहुंचवाना

10. सभी सलाहकार को मिट्टी जांच हेतु मिट्टी का नमूना किसानों के द्वारा कैसे इकट्ठा करवाया जाए इसका प्रशिक्षण देना।
11. सभी सलाहकारों के साथ सप्ताह में एक दिन नियमित बैठक करना होगा और उस बैठक की सभी विचार विमर्श और समस्याओं को एक बैठक पुस्तिका में अंकित करना होगा।
12. सलाहकार के माध्यम से किसानों के उपज का जांच करवा कर उनकी खरीदारी कर अनाज को तलवा कर गोदाम तक भिजवाना।
13. कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी सलाहकार को सहयोग करते हुवे संस्थान के द्वारा सभी सलाहकार को जो दैनिक साप्ताहिक और मासिक कार्य लक्ष्य दिया गया है उनको पूरा करवाना
14. प्रतिदिन सभी सलाहकार के कार्य रिपोर्ट को प्राप्त कर उनके अटेंडेंस बनाना।
15. अगर कोई सलाहकार कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसकी सूचना अपने CPO, डीपीएम या संस्थान तक पहुंचाना होगा।
16. अगर कोई सलाहकार अपना दैनिक कार्य रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं दे रहा है तो उस पर निगरानी रखना और सलाहकार के अटेंडेंस को अनुपस्थित कर रिपोर्ट तैयार करना।
17. सलाहकार कार्य करने में असमर्थ हो तो पहले उनका सहयोग कर उनके समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करना होगा। फिर भी सलाहकार कार्य नहीं कर रहे हैं या कार्य करने में असमर्थ हो तो उनके जगह पर शिक्षित और अनुभवी सलाहकार का चयन कर काम पर लगाना होगा।
18. सप्ताह में एक दिन अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र पर जाकर उनके विचार विमर्श को लेना होगा अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो डीपीएम या संस्थान के स्तर पर उसका समाधान करना होगा।
19. बीपीएम के द्वारा सभी सलाहकार पर निगरानी रखना होगा अगर सलाहकार के द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनियमित किया जा रहा है तो अभिलंब बीपीएम के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको सस्पेंड कर उसके कार्य पर रोक लगाया जाएगा।
20. संस्थान के पास सलाहकार के वित्तीय अनियमित करने की शिकायत प्राप्त होती है और उसमें बीपीएम के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो संस्थान यह समझेगी की इसमें बीपीएम की भी भागीदारी है और बीपीएम और सलाहकार दोनो पर संस्थान के द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
21. अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी सलाहकार का दैनिक साप्ताहिक और मासिक कार्य रिपोर्ट तैयार कर डीपीएम और संस्थान को भेजना
22. कार्यक्षेत्र में कार्यरत किसान सहायता केंद्र से उनके जरूरत के सामानों का आर्डर प्राप्त कर डीपीएम और कंपनी को सूचित करना
23. बीपीएम को अपना और अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत सलाहकार का कार्य रिपोर्ट या अन्य किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्ट या सूचना अपने जिला में कार्यरत डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर एवं प्रधान कार्यालय को सूचना देने के लिए अधिकृत किया गया है।
24. बीपीएम को संस्थान के सभी आचार संहिता एवं नियमावली को पालन करना होगा अगर बीपीएम के द्वारा आचार संहिता नियमावली का पालन नहीं किया जाएगा तो डीपीएम के माध्यम से बीपीएम के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
25. सभी सलाहकार से संस्थान के आचार संहिता और नियमावली का पालन करवाना होगा अगर बीपीएम के कार्य क्षेत्र में कार्यरत किसी भी सलाहकार के द्वारा संस्थान के आचार संहिता और नियमावली के विरुद्ध जाकर कोई कार्य कर रहे हो तो उसकी सूचना डीपीएम और संस्थान को देते हुए सलाहकार पर कार्रवाई का करने का अधिकार बीपीएम को दिया जाता।
26. कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे सभी सरकारी और निजी संस्थान जैसे की कृषि आदान पूर्ति वाले कंपनी, पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट की सुविधा देने वाले संस्थान, गोदाम, कृषि औजार की सुविधा प्रदाता, ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्ट प्रदाता, कृषि हेतु प्रशिक्षण देने वाले संस्थान इत्यादि से संपर्क कर उनसे मंडी मित्र के साथ में मिलकर काम करने हेतु संपर्क कर एमओयू करना।

27. संस्थान के विकास हेतु अपने कार्य क्षेत्र में सभी संवैधानिक और उचित कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है जिससे संस्थान और इससे जुड़े किसानों का लाभ हो सके, और किसानों तक अधिक से अधिक सुविधा पहुंचा कर किसानों के खर्च को कम कर उनकी आय को बढ़ाया जा सके और मंडी मित्र के आय में बढ़ोतरी हो सके।
28. उपरोक्त किसी भी कार्य में सलाहकार को समस्या हो रही हो तो वह अपनी समस्या को अपने CPO , डीपीएम या कंपनी को सूचित कर उस समस्या का समाधान कर ले। और कहीं पर आपको अगर सहयोग की जरूरत हो तो अपने CPO, डीपीएम या कंपनी से सहयोग लेकर अपने कार्य को सुचारू ढंग से करें अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो आप संस्थान के एचआर हेड से संपर्क कर अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

## **BLOCK PROJECT MANAGER**

### **SALARY PAYOUT BENEFIT**

- कार्य क्षेत्र - 1 से 2 प्रखंड में कार्य करना होगा एवं उसमें आने वाले सभी पंचायत आपके कार्य क्षेत्र में आएगा
- कार्य विवरण - कार्यक्षेत्र में उपस्थित सभी मंडी मित्र सलाहकार सह प्रशिक्षण केंद्र संचालक और मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र पर निगरानी रखना और कंपनी द्वारा निर्धारित मासिक कार्य लक्ष्य को पूरा करना और सभी **मंडी मित्र सलाहकार** से पूरा करवाना।
- न्यूनतम मूल मासिक वेतन भुगतान= आपका सीटीसी अनुबंध-1 और अनुबंध-2 के अनुसार होगा।
- प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 15000/- प्रतिमाह (2500 रुपये प्रतिमाह के यात्रा भत्ता+ बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा)
- अतिरिक्त किसान खरीद प्रोत्साहन राशि भुगतान - न्यूनतम 20000 /- से 40000 /- मासिक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलता है।

#### **अतिरिक्त सुविधा :-**

1. किसान खरीद प्रोत्साहन राशि- 0.50 % से 2 % (संपूर्ण प्रखंड में कोई भी किसान सदस्य किसान गोल्ड कार्ड / किशन प्लेटिनम कार्डके माध्यम से किसी भी प्रकार के उत्पाद ( जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, ट्रैक्टर, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की **मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र** में खरीददारी करता है तो **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** को किसान के खरीद पर 0.50 % से 2 % प्रोत्साहन राशि मिलता है

#### **उदाहरण के लिए**

आपके कार्य क्षेत्र में कुल लगभग 12 से 14 पंचायत होंगे

\* प्रति पंचायत में किसान संख्या - 432 /-

\* न्यूनतम प्रति पंचायत 36 किसान समूह आपके निगरानी में होगा।

\* कुल किसान ग्रुप आपके निगरानी में होगा 36 किसान ग्रुप \* 12 पंचायत = 432 किसान ग्रुप।

\*प्रत्येक समूह में किसान की संख्या- 12

\* कुल किसान 432 समूह \* 12 किसान = 5184 किसान प्रति प्रखंड में।

\* अगर प्रत्येक किसान कम से कम 1 एकड़ खेती करता है तो सभी किसानों का खेत मिला कर

**कुल 5184 किसान \* 1 एकड़ = कुल 5184 एकड़ में आपके प्रखंड में खेती होती है।**

सलाना एक किसान धान और गेहू या फिर फल सब्जियां की फसल की खेती के लिए मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र से लगभग 10000 /- की उत्पाद ( जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की खरीददारी करता है तो आपके प्रखंड से मंडी मित्र से जुड़े किसानों

के द्वारा कुल खरीददारी  $5184 * 10000 = 5,18,40,000$  /- की खरीददारी होती है तो , एक प्रखंड परियोजना प्रबंधक की किसानों की खरीददारी पर कुल इंसेंटिव =  $5,18,40,000 * 2\% = 10,36,800$  /- सलाना महीने का  $10,36,800 / 12$  माह =  $86,400$ /- प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय होगा ।

अगर 1 प्रखंड के किसान सदस्य द्वारा किसान गोल्ड कार्ड / किसान प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से 25 % किसान भी मंडी मित्र सहायता केंद्र से अपना सामान खरीदते है तो फिर भी  $86,400 * 25\% = 21600$  /- प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय प्रखंडपरियोजना प्रबंधक को होगा ।

2. प्रीमियम कंपनी उत्पाद बिक्री प्रोत्साहन राशि = 0.50 % ( रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी, कोई अन्य प्रीमियम कंपनी उत्पाद पर प्रोत्साहन राशि मिलता है ) ।
3. छः माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते में 10% - 20% वृद्धि ।
4. वार्षिक मूल वेतन के 30% तक का प्रदर्शन प्रोत्साहन वार्षिक ।
5. दुर्घटना बीमा 5 लाख ।
6. स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा बीमा कवर ।
7. 12 माह के उपरांत CPO लेवल के पोस्ट में प्रमोशन की सुविधा

### सीटीसी अनुबंध-1

POST	BASIC+HRA +BONUS + EPF+ESIC	TA+ FIELD EXP	NET SALARY	OTH PRODUCT & SERVICES SALE INC %	PREMIUM PRODUCT SALE INCENTIVE %	GROUP CREATE INCENTIVE
BLOCK PROJECT MANAGER	15000	2500	17500	2 %	0.50 %	240 / CLUB GROUP

• Tds ,Pt & other applicable taxes as per govt ruls.

### अनुबंध-2

*IMPORTANT NOTICE*	Salary / Payment T & C
<p>*Minimum 36 Gold club Farmer Group / 72 General club Farmer Group Per Panchayat Salahkar (MMS) Work Area.</p> <p>*Per Farmer Group Minimum 12 Farmer</p> <p>*Minimum 1000 Acre Agriculture Land For Cultivation Per Panchayat</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>*2 Gold Club Farmer Group Create And Soil Testing Registration within Internship Selection Duration.</p> <p>*145 General Club Farmer Group Per Month</p> <p>*Collection Centre Complete Setup 45 Days After Selection.</p> <p>*Per Collection Centre Minimum 500 Acre Agriculture Land For Cultivation.</p> <p>*Per Month Minimum 60 Village/ panchayat / block Level Farmer Training And Advisory Program Per (Mms) Work Area.</p> <p>*First Payment Increment After 6 Month 10 %</p> <p>* No Work Chart Complete No Monthly Payment Disbursement.</p> <p>* Monthly Salary Pay After Daily/ weekly /Monthly Work Chart Complete And Submit in office .</p> <p>* Company Any Time Transfer Other District, Block</p> <p>* 5 lakh Accidental Death And Disability insurance</p> <p>*Yearly Annual Performance Bonus 10 % to 30 % extra Pay for Basic Annual Salary .</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>* इंटरनशिप समय में जो कार्य आपको दिया गया है, अगर आप इंटरनशिप समय अवधि में अपने कार्य लच्छ पूरा नहीं कर पाते है, तो आपकी नियुक्ति को स्थाई नहीं की जाएगी, और आपकी नियुक्ति को रद्द कर के आपके स्थान पर वेटिंग लिस्ट में जिस अभियार्थी को रखा गया है उसकी नियुक्ति किया जायेगा।</p>	<p><b>Salary / Payment T &amp; C</b></p> <p>D. 36 Farmer Group Per Panchayat</p> <p>E. Duration 6 Month</p> <p>F. Minimum- 6 Gold Farmer Group / 12 GCF Group Per Panchayat per month</p> <p><b>BPM Salary Payment Structure</b></p> <p>100% Work Complete - 100 % Payment Paid</p> <p>80%-100% Work Complete-100 % Payment Paid</p> <p>50% Work Complete -50 % Payment</p> <p>30% Work Complete – 30 % Payment</p> <p>*Note- Below 30% Work Complete No Salary Payment Only Incentive + Ta+ Field Exp pay</p> <p>* No work Report No salary paid</p>

. NOTE- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited के मानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे।

Authorized Signatory

Nalima Kumar

DATE- 01/04/2024

Hr Manager Mandimitra-Ranchi-Ho

Amrinder Singh  
Mandi Mitra Agriculture Digital  
Solution And Trading Private Limited





## MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited

Reg. Office :- Road No-01s ,Van Vrindavan Colony, Chirondi, Morabadi, Ranchi, Jharkhand, 834006

Website- <https://mandimitra.com/> , e-mail- [mandimitraa@gmail.com](mailto:mandimitraa@gmail.com), Helpline- 7901659997, 9431038062

Under Registered - Government Of India Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises

Government of India Ministry Of Corporate Affairs under the Company act 2013 (18 of 2013 )

CIN NO- U01111JH2024PTC021920 MSME- UDYAM-JH-20-0003250 GSTIN-20AARCM7209D1ZO

LETTER NO - 05 / MM/ 2024-2025

DATE- 01/04/2024

### 3- CLUSTER PROGRAM OFFICER

## WORK SCHEDULE, RESPONSIBILITY & SALARY PAYOUT BENEFIT

कार्य अवधि - प्रतिदिन 8 से 9 घंटा

#### स्टेप 1- कृषि संबंधी दुकान से संपर्क कर सूची तैयार करना

1. पहले और दूसरा दिन में अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत **BLOCK PROJECT MANAGER** के साथ या अकेले कृषि संबंधी दुकान से संपर्क कर सूची तैयार करना और दुकानदार को मंडी मित्र के योजना और मंडी मित्र से जुड़कर कृषि दुकानदार कैसे अपना व्यवसाय को विकसित कर सकते हैं यह बताना।
2. कृषि दुकानदार को मंडी मित्र से जुड़ने के लिए क्या-क्या कागजात की जरूरत होगी और क्या-क्या प्रक्रिया है यह संपूर्ण जानकारी सभी दुकानदार को देना। जिस जिस दुकान पर वीपीएम / सलाहकार के द्वारा संपर्क किया जा रहा है उस दुकान का फोटो और वीडियो बनाकर ग्रुप में डालना।
3. अपने कार्य क्षेत्र के सभी प्रखंड में प्रखंड परियोजना प्रबंधक और पंचायत में पंचायत स्तर पर शिक्षित और अनुभवी सलाहकार का चयन प्रखंड परियोजना प्रबंधक के सहयोग से करना होगा।

#### स्टेप 2 - दुकान का चयन प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार से विचार विमर्श कर करना

4. तीसरा और चौथा दिन में अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत दुकानों में से वैसे दुकान का चयन प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार से विचार विमर्श कर करना जहां से किसानों को सभी सुविधा और सामान मिल सके और दुकानदार की वित्तीय स्थिति भी सही हो और उन दुकानदार का एग्रीमेंट पेपर का फार्म भरवाना और सभी कागजात को प्राप्त करना है। और दुकानदार के सभी एग्रीमेंट पेपर के फॉर्म और सभी कागजात का पीडीएफ बनाकर कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना होगा।
5. अगर पंचायतवार कृषि दुकान का चयन हो तो यह और भी अच्छा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान को लाभ मिल सके और सलाहकार को भी दुकान पर निगरानी रखने और दुकान पर अपना समय देने में सुविधा होगा।

#### स्टेप 3- प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के सहयोग से किसानों का बैठक करवाना

6. पांचवें से दसवें दिन तक में कार्यक्षेत्र में कार्यरत प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के सहयोग से किसानों का बैठक करवाना और उन किसानों को सलाहकार के साथ मिलकर मंडी मित्र के बहुउद्देशीय लाभकारी योजनाओं के बारे में बताना। मंडी मित्र से किसान कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में बताना मंडी मित्र के क्लब कार्ड बनवाने से किसान को क्या फायदा है इसके बारे में बताना।
7. किसानों का क्लब कार्ड बनवाने में सलाहकार को सहयोग करना। प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के द्वारा किसानों का नियमित बैठक करवाना। प्रतिदिन कम से कम 1 प्रखंड परियोजना प्रबंधक और 2 सलाहकार के साथ उनके कार्य क्षेत्र में किसानों से मिलकर किसानों की समस्याओं को समझना और उनकी समस्याओं का समाधान करना या संस्थान के मध्यम से करवाना।
8. वीपीएम और उनके कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी सलाहकारों के द्वारा किसानों के बैठक का फोटो लेना / लेवाना होगा और वीडियो बनवाना होगा। किसानों के खेतों पर जाकर उनके फसल का निगरानी करते हुए वीडियो बनवाना होगा और सभी फोटो और वीडियो को ग्रुप में डालवाना होगा और किसानों के साथ किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो उनका एक विस्तृत वीडियो बनवाकर ग्रुप में डालवाना होगा।
9. प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सभी सलाहकार के द्वारा किसानों की जरूरत की सामग्री के बारे में किसानों को अवगत करवाना और किसानों को जो भी जरूरी सामान चाहिए उसका आर्डर प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के माध्यम से कंपनी में लगवाना और प्रतिदिन सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकारों के साथ 1 घंटे का ऑनलाइन मीटिंग कर उनके समस्याओं का समाधान करना अपने कार्य क्षेत्र में सलाहकार को सहयोग करते हुए संस्थान के योजनाओं को किसानों तक पहुंचवाना

10. **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सभी सलाहकार को मिट्टी जांच हेतु मिट्टी का नमूना किसानों के द्वारा कैसे इकट्ठा करवाया जाए इसका प्रशिक्षण देना।
11. **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सभी सलाहकारों के साथ सप्ताह में एक दिन नियमित बैठक करना होगा और उस बैठक की सभी विचार विमर्श और समस्याओं को एक बैठक पुस्तिका में अंकित करना होगा।
12. **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के माध्यम से किसानों के उपज का जांच करवा कर उनकी खरीदारी कर अनाज को तलवा कर गोदाम तक भिजवाना।
13. कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार को सहयोग करते हुवे संस्थान के द्वारा सभी **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार को जो दैनिक साप्ताहिक और मासिक कार्य लक्ष्य दिया गया है उनको पूरा करवाना
14. प्रतिदिन सभी **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के कार्य रिपोर्ट को प्राप्त कर उनके अटेंडेंस बनाना।
15. अगर कोई **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसकी सूचना अपने डीपीएम या संस्थान तक पहुंचाना होगा।
16. अगर कोई **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार अपना दैनिक कार्य रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं दे रहा है तो उस पर निगरानी रखना और **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के अटेंडेंस को अनुपस्थित कर रिपोर्ट तैयार करना।
17. **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार कार्य करने में असमर्थ हो तो पहले उनका सहयोग कर उनके समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करना होगा। फिर भी **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार कार्य नहीं कर रहे हैं या कार्य करने में असमर्थ हो तो उनके जगह पर शिक्षित और अनुभवी **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार का चयन कर काम पर लगाना होगा।
18. सप्ताह में एक दिन अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र पर जाकर उनके विचार विमर्श को लेना होगा अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो डीपीएम या संस्थान के स्तर पर उसका समाधान करना होगा।
19. **CPO** के द्वारा सभी **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार पर निगरानी रखना होगा अगर **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनियमित किया जा रहा है तो अभिलंब **CPO** के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको सस्पेंड कर उसके कार्य पर रोक लगाया जाएगा।
20. संस्थान के पास **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के वित्तीय अनियमित करने की शिकायत प्राप्त होती है और उसमें **CPO** के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो संस्थान यह समझेगी की इसमें **CPO** की भी भागीदारी है और **CPO**, डीपीएम और सलाहकार पर संस्थान के द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
21. अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार का दैनिक साप्ताहिक और मासिक कार्य रिपोर्ट तैयार कर डीपीएम और संस्थान को भेजना
22. कार्यक्षेत्र में कार्यरत किसान सहायता केंद्र से उनके जरूरत के सामानों का आर्डर प्राप्त कर डीपीएम और कंपनी को सूचित करना
23. **CPO** को अपना और अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार का कार्य रिपोर्ट या अन्य किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्ट या सूचना अपने जिला में कार्यरत डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर एवं प्रधान कार्यालय को सूचना देने के लिए अधिकृत किया गया है।
24. **CPO** को संस्थान के सभी आचार संहिता एवं नियमावली को पालन करना होगा अगर **CPO** के द्वारा आचार संहिता नियमावली का पालन नहीं किया जाएगा तो डीपीएम के माध्यम से **CPO** के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
25. सभी **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार से संस्थान के आचार संहिता और नियमावली का पालन करवाना होगा अगर **CPO** के कार्य क्षेत्र में कार्यरत किसी भी **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के द्वारा संस्थान के आचार संहिता और नियमावली के विरुद्ध जाकर कोई कार्य कर रहे हो तो उसकी सूचना डीपीएम और संस्थान को देते हुए **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार पर कार्रवाई का करने का अधिकार **CPO** को दिया जाता।
26. कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे सभी सरकारी और निजी संस्थान जैसे की कृषि आदान पूर्ति वाले कंपनी, पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट की सुविधा देने वाले संस्थान, गोदाम, कृषि औजार की सुविधा प्रदाता, ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्ट प्रदाता, कृषि हेतु प्रशिक्षण देने वाले संस्थान इत्यादि से संपर्क कर उनसे मंडी मित्र के साथ में मिलकर काम करने हेतु संपर्क कर एमओयू करना।
27. संस्थान के विकास हेतु अपने कार्य क्षेत्र में सभी संवैधानिक और उचित कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है जिससे संस्थान और इससे जुड़े किसानों का लाभ हो सके , और किसानों तक अधिक से अधिक सुविधा पहुंचा कर किसानों के खर्च को कम कर उनकी आय को बढ़ाया जा सके और मंडी मित्र के आय में बढ़ोतरी हो सके।
28. उपरोक्त किसी भी कार्य में सलाहकार को समस्या हो रही हो तो वह अपनी समस्या को अपने डीपीएम या कंपनी को सूचित कर उस समस्या का समाधान कर ले । और कहीं पर आपको अगर सहयोग की जरूरत हो तो अपने डीपीएम , **RPM** या कंपनी से सहयोग लेकर अपने कार्य को सुचारू ढंग से करें अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो आप संस्थान के एचआर हेड से संपर्क कर अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

# CLUSTER PROGRAM OFFICER

## SALARY PAYOUT BENEFIT

- कार्य क्षेत्र - 5 से 8 प्रखंड में कार्य करना होगा एवं उसमें आने वाले सभी प्रखंड और पंचायत आपके कार्य क्षेत्र में आएगा
- कार्य विवरण - कार्यक्षेत्र में उपस्थित सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक / मंडी मित्र सलाहकार सह प्रशिक्षण केंद्र संचालक और मंडी मित्र किसान सहायता केंद्रपर निगरानी रखना और कंपनी द्वारा निर्धारित मासिक कार्य लक्ष्य को पूरा करना और सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार से पूरा करवाना।
- न्यूनतम मूल मासिक वेतन भुगतान- आपका सीटीसी अनुबंध-1 और अनुबंध-2 के अनुसार होगा।
- प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 20000 /- प्रतिमाह (5000 रुपये प्रतिमाह के यात्रा भत्ता+ बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा)
- अतिरिक्त किसान खरीद प्रोत्साहन राशि भुगतान - न्यूनतम 20000 /- से 40000 /- मासिक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलता है।

### अतिरिक्त सुविधा :-

- 1 किसान खरीद प्रोत्साहन राशि – 0.50 % (संपूर्ण प्रखंड में कोई भी किसान सदस्य किसान गोल्ड कार्ड / किसान प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से किसी भी प्रकार के उत्पाद ( जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, ट्रैक्टर, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र में करता है तो क्लस्टर परियोजना प्रबंधक को किसान के खरीद पर 0.50 % प्रोत्साहन राशि मिलता है

### उदाहरण के लिए

आपके कार्य क्षेत्र में कुल लगभग 5 से 8 प्रखंड होंगे

\* प्रति पंचायत में किसान संख्या - 432 /-

\* न्यूनतम प्रति पंचायत 36 किसान समूह आपके निगरानी में होगा।

\* कुल किसान ग्रुप आपके निगरानी में होगा 36 किसान ग्रुप \* 12 पंचायत = 432 किसान ग्रुप।

\*प्रत्येक समूह में किसान की संख्या- 12

\* कुल किसान 432 समूह \* 12 किसान = 5184 किसान प्रति प्रखंड में।

आपके कार्य क्षेत्र में कुल 5184 किसान \* 5 प्रखंड = 25920 किसान प्रति 5 प्रखंड में।

\* अगर प्रत्येक किसान कम से कम 1 एकड़ खेती करता है तो सभी किसानों का खेत मिला कर

कुल 25920 किसान \* 1 एकड़ = कुल 25920 एकड़ में आपके प्रखंड में खेती होती है।

सलाना एक किसान धान और गेहू या फिर फल सब्जियां की फसल की खेती के लिए मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र से लगभग 10000 /- की उत्पाद ( जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की खरीददारी करता है तो आपके प्रखंड से मंडी मित्र से जुड़े किसानों के द्वारा कुल खरीददारी 25920 \* 10000 = 25, 92, 00000 /- की खरीददारी होती है तो , एक क्लस्टर परियोजना प्रबंधक की किसानों की खरीददारी पर कुल इंसेंटिव = 25, 92, 00000 \* 0.50 % = 12,96,000 /- सलाना

महीने का 12,96,000 / 12 माह = 108000 प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय होगा।

अगर 5 प्रखंड के किसान सदस्य द्वारा किसान गोल्ड कार्ड/ किसान प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से 25 % किसान भी मंडी मित्र सहायता केंद्र से अपना सामान खरीदते है तो फिर भी 108000\* 25% = 27000 / - प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय क्लस्टर परियोजना प्रबंधक को होगा।

2. प्रीमियम कंपनी उत्पाद बिक्री प्रोत्साहन राशि = 0.25 % ( रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया , डीएपी, एमओपी, कोई अन्य प्रीमियम कंपनी उत्पाद पर प्रोत्साहन राशि मिलता है ) ।
3. छः माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते में 10% - 20% वृद्धि ।
4. वार्षिक मूल वेतन के 30% तक का प्रदर्शन प्रोत्साहन वार्षिक ।
5. दुर्घटना बीमा 5 लाख ।
6. स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा बीमा कवर ।
7. 12 माह के उपरांत DISTRICT PROJECT MANAGER लेवल के पोस्ट में प्रमोशन

### सीटीसी अनुबंध-1

POST	BASIC+HRA +BONUS + EPF+ESIC	TA+ FIELD EXP	NET SALARY	OTH PRODUCT & SERVICES SALE INC %	PREMIUM PRODUCT SALE INCENTIVE %	GROUP CREATE INCENTIVE
CLUSTER PROGRAM OFFICER	20000	5000	25000	0.50 %	0.25 %	120 / CLUB GROUP

• Tds ,Pt & other applicable taxes as per govt ruls.

### अनुबंध-2

*IMPORTANT NOTICE*	Salary / Payment T & C
<p>*Minimum 36 Gold club Farmer Group / 72 General club Farmer Group Per Panchayat Salahkar (MMS) Work Area.</p> <p>*Per Farmer Group Minimum 12 Farmer</p> <p>*Minimum 1000 Acre Agriculture Land For Cultivation Per Panchayat</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>*2 Gold Club Farmer Group Create And Soil Testing Registration within Internship Selection Duration.</p> <p>*145 General Club Farmer Group Per Month</p> <p>*Collection Centre Complete Setup 45 Days After Selection.</p> <p>*Per Collection Centre Minimum 500 Acre Agriculture Land For Cultivation.</p> <p>*Per Month Minimum 40 Village/ panchayat / block Level Farmer Training And Advisory Program Per (Mms) Work Area.</p> <p>*First Payment Increment After 6 Month 10 %</p> <p>* No Work Chart Complete No Monthly Payment Disbursement.</p> <p>* Monthly Salary Pay After Daily/ weekly /Monthly Work Chart Complete And Submit in office .</p> <p>* Company Any Time Transfer Other District, Block</p> <p>* 5 lakh Accidental Death And Disability insurance</p> <p>*Yearly Annual Performance Bonus 10 % to 30 % extra Pay for Basic Annual Salary .</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>* इंटरनशिप समय में जो कार्य आपको दिया गया है, अगर आप इंटरनशिप समय अवधि में अपने कार्य लच्छ पूरा नहीं कर पाते है, तो आपकी नियुक्ति को स्थाई नहीं की जाएगी, और आपकी नियुक्ति को रद कर के आपके स्थान पर वेटिंग लिस्ट में जिस अभियार्थी को रखा गया है उसकी नियुक्ति किया जायेगा।</p>	<p><b>Salary / Payment T &amp; C</b></p> <p>G. 36 Farmer Group Per Panchayat</p> <p>H. Duration 6 Month</p> <p>I. Minimum- 6 Gold Farmer Group / 12 GCF Group Per Panchayat per month</p> <p><b>CPO Salary Payment Structure</b></p> <p><b>50%-100% Work Complete-100 % Payment Paid</b></p> <p>*Note- Below 30% Work Complete No Salary Payment Only Incentive + Ta+ Field Exp pay</p> <p>* No work Report No salary paid</p>

. Note- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited के मानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे। की सुविधा

Authorized Signatory

*Nalima Kumar*

DATE- 01/04/2024



Hr Manager Mandimitra-Ranchi-Ho

*Amit Kr Singh*  
Mandi Mitra Agriculture Digital  
Solution And Trading Private Limited



## MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited

Reg. Office :- Road No-01s ,Van Vrindavan Colony, Chirondi, Morabadi, Ranchi, Jharkhand, 834006

Website- <https://mandimitra.com/> , e-mail- [mandimitraa@gmail.com](mailto:mandimitraa@gmail.com), Helpline- 7901659997, 9431038062

Under Registered - Government Of India Ministry Of Micro, Small & Medium Enterprises

Government of India Ministry Of Corporate Affairs under the Company act 2013 (18 of 2013 )

CIN NO- U01111JH2024PTC021920 MSME- UDYAM-JH-20-0003250 GSTIN-20AARCM7209D1ZO

LETTER NO - 05 / MM/ 2024-2025

DATE- 01/04/2024

### 4. DISTRICT PROJECT MANAGER

### WORK SCHEDULE, RESPONSIBILITY & SALARY PAYOUT BENEFIT

कार्य अवधि - प्रतिदिन 8 से 9 घंटा

#### स्टेप 1- कृषि संबंधी दुकान से संपर्क कर सूची तैयार करना

1. पहले और दूसरा दिन में अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत CPO / BLOCK PROJECT MANAGER के साथ या अकेले कृषि संबंधी दुकान से संपर्क कर सूची तैयार करना और दुकानदार को मंडी मित्र के योजना और मंडी मित्र से जुड़कर कृषि दुकानदार कैसे अपना व्यवसाय को विकसित कर सकते हैं यह बताना।
2. कृषि दुकानदार को मंडी मित्र से जुड़ने के लिए क्या-क्या कागजात की जरूरत होगी और क्या-क्या प्रक्रिया है यह संपूर्ण जानकारी सभी दुकानदार को देना। जिस जिस दुकान पर वीपीएम / सलाहकार के द्वारा संपर्क किया जा रहा है उस दुकान का फोटो और वीडियो बनाकर ग्रुप में डालना।
3. अपने कार्य क्षेत्र के सभी प्रखंड में प्रखंड परियोजना प्रबंधक और पंचायत में पंचायत स्तर पर शिक्षित और अनुभवी सलाहकार का चयन CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक के सहयोग से करना होगा।

#### स्टेप 2 - दुकान का चयन CPO/ प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार से विचार विमर्श कर करना

4. तीसरा और चौथा दिन में अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत दुकानों में से वैसे दुकान का चयन CPO/ प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार से विचार विमर्श कर करना जहां से किसानों को सभी सुविधा और सामान मिल सके और दुकानदार की वित्तीय स्थिति भी सही हो और उन दुकानदार का एग्रीमेंट पेपर का फार्म भरवाना और सभी कागजात को प्राप्त करना है। और दुकानदार के सभी एग्रीमेंट पेपर के फॉर्म और सभी कागजात का पीडीएफ बनाकर कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना होगा।
5. अगर पंचायतवार कृषि दुकान का चयन हो तो यह और भी अच्छा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान को लाभ मिल सके और सलाहकार को भी दुकान पर निगरानी रखने और दुकान पर अपना समय देने में सुविधा होगा।

#### स्टेप 3- CPO/ प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के सहयोग से किसानों का बैठक करवाना

6. पांचवें से दसवें दिन तक में कार्यक्षेत्र में कार्यरत CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के सहयोग से किसानों का बैठक करवाना और उन किसानों को सलाहकार के साथ मिलकर मंडी मित्र के बहुउद्देशीय लाभकारी योजनाओं के बारे में बताना। मंडी मित्र से किसान कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में बताना मंडी मित्र के क्लब कार्ड बनवाने से किसान को क्या फायदा है इसके बारे में बताना।
7. किसानों का क्लब कार्ड बनवाने में सलाहकार को सहयोग करना। CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के द्वारा किसानों का नियमित बैठक करवाना। प्रतिदिन कम से कम 1 प्रखंड परियोजना प्रबंधक और 2 सलाहकार के साथ उनके कार्य क्षेत्र में किसानों से मिलकर किसानों की समस्याओं को समझना और उनकी समस्याओं का समाधान करना या संस्थान के मध्यम से करवाना।
8. CPO/ वीपीएम और उनके कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी सलाहकारों के द्वारा किसानों के बैठक का फोटो लेना / लेवाना होगा और वीडियो बनवाना होगा। किसानों के खेतों पर जाकर उनके फसल का निगरानी करते हुए वीडियो बनवाना होगा और सभी फोटो और वीडियो को ग्रुप में डालवाना होगा और किसानों के साथ किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो उनका एक विस्तृत वीडियो बनवाकर ग्रुप में डालवाना होगा।
9. CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सभी सलाहकार के द्वारा किसानों की जरूरत की सामग्री के बारे में किसानों को अवगत करवाना और किसानों को जो भी जरूरी सामान चाहिए उसका आर्डर CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकार के माध्यम से कंपनी में लगवाना और प्रतिदिन सभी CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक और सलाहकारों के साथ 1 घंटे का

ऑनलाइन मीटिंग कर उनके समस्याओं का समाधान करना अपने कार्य क्षेत्र में सलाहकार को सहयोग करते हुए संस्थान के योजनाओं को किसानों तक पहुंचवाना

10. **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सभी सलाहकार को मिट्टी जांच हेतु मिट्टी का नमूना किसानों के द्वारा कैसे इकट्ठा करवाया जाए इसका प्रशिक्षण देना।
11. **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सभी सलाहकारों के साथ सप्ताह में एक दिन नियमित बैठक करना होगा और उस बैठक की सभी विचार विमर्श और समस्याओं को एक बैठक पुस्तिका में अंकित करना होगा।
12. **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के माध्यम से किसानों के उपज का जांच करवा कर उनकी खरीदारी कर अनाज को तलवा कर गोदाम तक भिजवाना।
13. कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार को सहयोग करते हुवे संस्थान के द्वारा सभी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार को जो दैनिक साप्ताहिक और मासिक कार्य लक्ष्य दिया गया है उनको पूरा करवाना
14. प्रतिदिन सभी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के कार्य रिपोर्ट को प्राप्त कर उनके अटेंडेंस बनाना।
15. अगर कोई **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसकी सूचना अपने डीपीएम या संस्थान तक पहुंचाना होगा।
16. अगर कोई **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार अपना दैनिक कार्य रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं दे रहा है तो उस पर निगरानी रखना और **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के अटेंडेंस को अनुपस्थित कर रिपोर्ट तैयार करना।
17. **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार कार्य करने में असमर्थ हो तो पहले उनका सहयोग कर उनके समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करना होगा। फिर भी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार कार्य नहीं कर रहे हैं या कार्य करने में असमर्थ हो तो उनके जगह पर शिक्षित और अनुभवी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार का चयन कर काम पर लगाना होगा।
18. सप्ताह में एक दिन अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र पर जाकर उनके विचार विमर्श को लेना होगा अगर उनको किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तो डीपीएम या संस्थान के स्तर पर उसका समाधान करना होगा।
19. **DPM** के द्वारा सभी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार पर निगरानी रखना होगा अगर **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनियमित किया जा रहा है तो अभिलंब **DPM** के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसको सस्पेंड कर उसके कार्य पर रोक लगाया जाएगा।
20. संस्थान के पास **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के वित्तीय अनियमित करने की शिकायत प्राप्त होती है और उसमें **DPM** के द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो संस्थान यह समझेगी की इसमें **DPM** की भी भागीदारी है और **DPM/ CPO**, बीपीएम और सलाहकार पर संस्थान के द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
21. अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत सभी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार का दैनिक साप्ताहिक और मासिक कार्य रिपोर्ट तैयार कर **RPM** और संस्थान को भेजना
22. कार्यक्षेत्र में कार्यरत किसान सहायता केंद्र से उनके जरूरत के सामानों का आर्डर प्राप्त कर **RPM** और कंपनी को सूचित करना
23. **DPM** को अपना और अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार का कार्य रिपोर्ट या अन्य किसी भी प्रकार का कोई रिपोर्ट या सूचना अपने जिला में कार्यरत **RPM** एवं प्रधान कार्यालय को सूचना देने के लिए अधिकृत किया गया है।
24. **DPM** को संस्थान के सभी आचार संहिता एवं नियमावली को पालन करना होगा अगर **DPM** के द्वारा आचार संहिता नियमावली का पालन नहीं किया जाएगा तो **RPM** के माध्यम से **DPM** के ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
25. सभी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार से संस्थान के आचार संहिता और नियमावली का पालन करवाना होगा अगर **DPM** के कार्य क्षेत्र में कार्यरत किसी भी **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार के द्वारा संस्थान के आचार संहिता और नियमावली के विरुद्ध जाकर कोई कार्य कर रहे हो तो उसकी सूचना डीपीएम और संस्थान को देते हुए **CPO / प्रखंड परियोजना प्रबंधक** और सलाहकार पर कार्रवाई का करने का अधिकार **DPM** को दिया जाता।
26. कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे सभी सरकारी और निजी संस्थान जैसे की कृषि आदान पूर्ति वाले कंपनी, पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट की सुविधा देने वाले संस्थान, गोदाम, कृषि औजार की सुविधा प्रदाता, ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्ट प्रदाता, कृषि हेतु प्रशिक्षण देने वाले संस्थान इत्यादि से संपर्क कर उनसे मंडी मित्र के साथ में मिलकर काम करने हेतु संपर्क कर एमओयू करना।
27. संस्थान के विकास हेतु अपने कार्य क्षेत्र में सभी संवैधानिक और उचित कार्य करने की शक्ति प्रदान की जाती है जिससे संस्थान और इससे जुड़े किसानों का लाभ हो सके , और किसानों तक अधिक से अधिक सुविधा पहुंचा कर किसानों के खर्च को कम कर उनकी आय को बढ़ाया जा सके और मंडी मित्र के आय में बढ़ोतरी हो सके।

28. उपरोक्त किसी भी कार्य में सलाहकार को समस्या हो रही हो तो वह अपनी समस्या को अपने RPM या कंपनी को सूचित कर उस समस्या का समाधान कर ले। और कहीं पर आपको अगर सहयोग की जरूरत हो तो अपने RPM या कंपनी से सहयोग लेकर अपने कार्य को सुचारू ढंग से करें अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो आप संस्थान के एचआर हेड से संपर्क कर अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

## **DISTRICT PROJECT MANAGER**

### **SALARY PAYOUT BENEFIT**

- कार्य क्षेत्र – 1 से 2 सम्पूर्ण जिला एवं उसमे आने वाले सभी प्रखंड और पंचायत आपके कार्य क्षेत्र में आएगा
- कार्य विवरण - कार्यक्षेत्र में उपस्थित सभी क्लस्टर परियोजना ऑफिसर / प्रखंड परियोजना प्रबंधक / मंडी मित्र सलाहकार सह प्रशिक्षण केंद्र संचालक और मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र पर निगरानी रखना और कंपनी द्वारा निर्धारित मासिक कार्य लक्ष्य को पूरा करना और सभी से पूरा करवाना।
- न्यूनतम मूल मासिक वेतन भुगतान- आपका सीटीसी अनुबंध-1 और अनुबंध-2 के अनुसार होगा।
- प्रारंभिक 6 माह के प्रशिक्षण अवधि के दौरान रु. 32500/- प्रतिमाह (5000 रुपये प्रतिमाह के यात्रा भत्ता+ बोनस + प्रोत्साहन - अतिरिक्त होगा)
- अतिरिक्त किसान खरीद प्रोत्साहन राशि भुगतान - न्यूनतम 50000/- से 65000/- मासिक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलता है।

#### **अतिरिक्त सुविधा :-**

- 1 किसान खरीद प्रोत्साहन राशि – 0.50 % (संपूर्ण जिला में कोई भी किसान सदस्य किसान गोल्ड कार्ड / किशन प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से किसी भी प्रकार के उत्पाद ( जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, ट्रैक्टर, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की मंडी मित्र किसान सहायता केंद्रमें करता है तो **जिला परियोजना प्रबंधक** को किसान के खरीद पर 0.50 % प्रोत्साहन राशि मिलता है

#### **उदाहरण के लिए**

आपके कार्य क्षेत्र में कुल लगभग 12 से 15 प्रखंड होंगे

\* प्रति पंचायत में किसान संख्या - 432 /-

\* न्यूनतम प्रति पंचायत 36 किसान समूह आपके निगरानी में होगा।

\* कुल किसान ग्रुप आपके निगरानी में होगा 36 किसान ग्रुप \* 12 पंचायत = 432 किसान ग्रुप।

\*प्रत्येक समूह में किसान की संख्या- 12

\* कुल किसान 432 समूह \* 12 किसान = 5184 किसान प्रति प्रखंड में।

आपके कार्य क्षेत्र में कुल 5184 किसान \* 12 प्रखंड = 62208 किसान प्रति 12 प्रखंड में।

\* अगर प्रत्येक किसान कम से कम 1 एकड़ खेती करता है तो सभी किसानों का खेत मिला कर

कुल 62208 किसान \* 1 एकड़ = कुल 62208 एकड़ में आपके जिला में खेती होती है

सलाना एक किसान धान और गेहू या फिर फल सब्जियां की फसल की खेती के लिए मंडी मित्र किसान सहायता केंद्र से लगभग 10000/- की उत्पाद ( जैसे मिट्टी जाँच, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खनिज, कृषि उपकरण, नर्सरी प्लांट, वर्मी कंपोस्ट, अन्य कोई उत्पाद) की खरीददारी करता है तो आपके जिला से मंडी मित्र से जुड़े किसानों के द्वारा कुल खरीददारी 62208 \* 10000 = 62,20,80000/- की खरीददारी होती है तो , एक **जिला परियोजना प्रबंधक** की किसानों की खरीददारी पर कुल इंसेंटिव = 62,20,80000 \* 0.50 % = 31,10,400/- सलाना महीने का 31,10,400 / 12 माह = 2,59,200 प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय होगा।

अगर 12 प्रखंड के किसानसदस्य द्वारा किसान गोल्ड कार्ड/ किसान प्लेटिनम कार्ड के माध्यम से 25 % किसान भी मंडी मित्र सहायता केंद्र से अपना सामान खरीदते हैं तो फिर भी  $2,59,200 * 25\% = 64800 / -$  प्रति माह कम से कम हर महीने अतिरिक्त आय जिल्लारियोजना प्रबंधक को होगा।

2. प्रीमियम कंपनी उत्पाद बिक्री प्रोत्साहन राशि = 0.25 % ( रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी, कोई अन्य प्रीमियम कंपनी उत्पाद पर प्रोत्साहन राशि मिलता है )।
3. छः माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते में 10% - 20% वृद्धि ।
4. वार्षिक मूल वेतन के 30% तक का प्रदर्शन प्रोत्साहन वार्षिक ।
5. दुर्घटना बीमा 5 लाख ।
6. स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा बीमा कवर ।
7. 12 माह के उपरांत REGIONAL PROJECT MANAGER लेवल के पोस्ट में प्रमोशन की सुविधा

### सीटीसी अनुबंध-1

POST	BASIC+HRA +BONUS + EPF+ESIC	TA+ FIELD EXP	NET SALARY	OTH PRODUCT & SERVICES SALE INC %	PREMIUM PRODUCT SALE INCENTIVE %	GROUP CREATE INCENTIVE
DISTRICT PROJECT MANAGER	32500	5000	37500	0.50 %	0.25 %	120 / CLUB GROUP

- Tds ,Pt & other applicable taxes as per govt ruls.

### अनुबंध-2

<b>*IMPORTANT NOTICE*</b>	<b>Salary / Payment T &amp; C</b>
<p><b>*Minimum 36 Gold club Farmer Group / 72 General club Farmer Group Per Panchayat Salahkar (MMS) Work Area.</b></p> <p>*Per Farmer Group Minimum 12 Farmer</p> <p>*Minimum 1000 Acre Agriculture Land For Cultivation Per Panchayat</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p><b>*2 Gold Club Farmer Group Create And Soil Testing Registration within Internship Selection Duration.</b></p> <p><b>*145 General Club Farmer Group Per Month</b></p> <p>*Collection Centre Complete Setup 45 Days After Selection.</p> <p>*Per Collection Centre Minimum 500 Acre Agriculture Land For Cultivation.</p> <p>*Per Month Minimum 40 Village/ panchayat / block Level Farmer Training And Advisory Program Per (Mms) Work Area.</p> <p>*First Payment Increment After 6 Month 10 %</p> <p><b>*No Work Chart Complete No Monthly Payment Disbursement.</b></p> <p>* Monthly Salary Pay After Daily/ weekly /Monthly Work Chart Complete And Submit in office .</p> <p>* Company Any Time Transfer Other District, Block</p> <p>* 5 lakh Accidental Death And Disability insurance</p> <p>*Yearly Annual Performance Bonus 10 % to 30 % extra Pay for Basic Annual Salary .</p> <p>*Farmer And Land Registration Work Complete 6 Month</p> <p>* इंटरनशिप समय में जो कार्य आपको दिया गया है, अगर आप इंटरनशिप समय अवधि में अपने कार्य लच्छ पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपकी नियुक्ति को स्थाई नहीं की जाएगी, और आपकी नियुक्ति को रद्द कर के आपके स्थान पर वेटिंग लिस्ट में जिस अभियार्थी को रखा गया है उसकी नियुक्ति किया जायेगा।</p>	<p><b>J. 36 Farmer Group Per Panchayat</b></p> <p><b>K. Duration 6 Month</b></p> <p><b>L. Minimum- 6 Gold Farmer Group / 12 GCF Group Per Panchayat per month</b></p> <p><b>DPM Salary Payment Structure</b></p> <p><b>50%-100% Work Complete-100 % Payment Paid</b></p> <p><b>*Note- Below 30% Work Complete No Salary Payment Only Incentive + Ta+ Field Exp pay</b></p> <p><b>* No work Report No salary paid</b></p>

**Note- 6 माह के प्रशिक्षण अवधि उपरांत कार्य मूल्यांकन में सफल पाए जाने के उपरांत मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते MandiMitra Agriculture Digital Solution And Trading Private Limited के मानव संसाधन नियमावली के अनुसार लागू होंगे।**

Authorized Signatory

*Nalima Kumar*

DATE- 01/04/2024



Hr Manager Mandimitra-Ranchi-Ho

*Amrit Kr Singh*  
Mandi Mitra Agriculture Digital  
Solution And Trading Private Limited